HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application No. 275/2026

In

S.B. Criminal Revision Petition No. 1020/2026
CNR: RJHC020534532026 | URN: CRLR / 1880U / 2026

Chetan Ram S/o Shri Kunna Ram, Aged About 32 Years, Resident Of Dejasar, Police Station Ratangarh, District Churu. (Accused Presently Confined In Jail At Fatehpur Shekhawati)

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Deepak Soni
For Respondent(s)	:	Mr. Gaurav Gupta, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

27/07/2026

याची/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय– **न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ, जिला सीकर** द्वारा प्रकरण संख्या(सीआईएस.)–**60/2011, सरकार बनाम विजेन्द्र उर्फ टिलिया व अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **17.12.2024** व अपीलीय न्यायालय–**अपर सेशन न्यायाधीश, लक्ष्मणगढ, जिला सीकर (राज0)** द्वारा आपराधिक अपील संख्या–**01/2025 चेतनराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य** में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक **27.05.2026** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराध धारा में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम तीन वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि दौराने विचारण वह दिनांक 10.06.2011 से 21.09.2011 तक अभिरक्षा में रहा है, तत्पश्चात वह जमानत पर आजाद रहा है तथा वर्तमान में वह अपील के निर्णय की दिनांक 27.05.2026 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है। निगरानी याचिका में याची/अभियुक्त के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ एवं पर्याप्त आधार विद्यमान है, निगरानी याचिका के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों, याची/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि एवं निगरानी याचिका के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होते हैं।

परिणामतः याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि याची/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये**) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए (**अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये**) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **29.08.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो याची/अभियुक्त **चेतनराम पुत्र कुनणाराम** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन कारावास की सीमा तक इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI/07